CNR NO. UPDE 0100 5435 2025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी- धनेन्द्र प्रताप सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा UP2016

सिविल निगरानी संख्या- 02/2026

1. चन्द्रेश्वर | पुत्रगण
2. चन्द्रवली | लोचन
3. राजेश्वर

साकिनान- पिपरादेवराज, तप्पा- बरसीपार, परगना- सलेमपुर मझौली,
तहसील- सलेमपुर, जिला- देवरिया।
हालमुकाम- कोईलगड़हा, तप्पा- नगवाटीकर, परगना- सिलहट,
तहसील- रूद्रपुर, जिला- देवरिया।

निगरानीकर्तागण,

बनाम

1. विजरावती पत्नी रामदयाल
साकिन- कोईलगड़हा, तप्पा- नगवाटीकर, परगना- सिलहट,
तहसील- रुद्रपुर, जिला- देवरिया।
2. मोहनलाल | पुत्रगण
3. नागर मल्ल | मरछुराम
निवासीगण ग्राम- जखनियाँ, तहसील- जखनियाँ, जिला- गाजीपुर।
हालमुकाम- तिवई, तप्पा- नगवाटीकर, परगना- सिलहट,
तहसील- रुद्रपुर, जिला- देवरिया।
4. श्रीमती तेतरी देवी पत्नी ओमप्रकाश
साकिन- कोईलगड़हा, तप्पा नगवाटीकर, परगना- सिलहट,
तहसील- रुद्रपुर, जिला- देवरिया।

प्रतिपक्षीगण

निर्णय

प्रस्तुत सिविल निगरानी, निगरानीकर्तागण द्वारा मुकदमा नं० 622/2022, विजरावती बनाम चन्देश्वर आदि के मामले में न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/एफ०टी०सी० प्रथम, देवरिया द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.11.2025 के विरुद्ध संस्थित की गयी है।

प्रस्तुत निगरानी में दिये गये आधार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी का प्रार्थना-पत्र 25क स्वीकार कर भूल किया है। प्रस्तुत तरमीम के माध्यम से वादिनी 26.12.1988 के बैनामे की मंसूखी वर्ष 2025 में आकर उसके बाबत मंसूखी की याचना मांग रही है,

जो कानूनन वर्जित है। अधीनस्थ न्यायालय ने Hopelessly line barrel Amendment को स्वीकार कर महान भूल की है। वादिनी/विपक्षी को बैनामा दिनांक 26.12.1998 की जानकारी बैनामे के समय से ही रही है, उसका कथन कि उसे विवादित बैनामे की जानकारी वर्ष 2026 में हुई है, सरासर गलत है। बैनामा दिनांक 26.12.1998 मौके पर तत्समय से ही एक्टअपान हो चुका है तथा कब्जा दखल निगरानीकर्ता का उसी समय से चला आ रहा है। आदेश दिनांक 18.11.2025 Fettal है। ऐसी दशा में आदेश दिनांकित 18.11.2025 को निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

प्रतिपक्षिनी विजरावती की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए, कथन किया गया है कि निगरानीकर्तागण का विवादित भूमि से कोई वास्ता सरोकार नहीं रहा और न ही उनका कोई कब्जा दखल कभी रहा है। निगरानीकर्तागण ने अपने तथाकथित बैनामा दिनांक 26.12.88 का कोई इजहार कभी नहीं किया और न ही उपरोक्त 26.12.88 से आज तक उनका नाम जरिये कार्यवाही दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में है। प्रतिपक्षिनी के बैनामा बाबत विवादित भूमि लेने के उपरान्त निगरानीकर्तागण ने उपरोक्त दिनांक के बैनामे का इजहार किया एवं दाखिल खारिज की दरखास्त तहसील न्यायालय में दी, जो तहसील न्यायालय से रिक्त हो गई। उपरोक्त दाखिल खारिज के आवेदक के खारिजी के विरुद्ध निगरानीकर्तागण ने कायमी प्रार्थना-पत्र दिया और कायमी प्रार्थना-पत्र ही खारिज हो गया। उपरोक्त दोनों आदेश के विरुद्ध निगरानीकर्तागण को अपीलीय न्यायालय से भी राहत प्राप्त नहीं हुई। निगरानीकर्तागम ने वादिनी के मुकदमे के जबाव में एक सिविल सूट दाखिल किया, जो वर्ष 2021 के प्रकीर्ण वाद संख्या 346 पर चन्द्रदेश्वर बनाम विजरावती दाखिल किया, जो लगभग सात वर्ष से ऊपर कालबाधित है। उपरोक्त कायमी प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सी०पी०सी० गुणदोष के आधार पर निरस्त हो गया। निगरानीकर्तागण ने मूलवाद संख्या 622/2022 बिजरावती बनाम चन्द्रदेश्वर आदि में अपनी जबावदेही वर्ष 2022 में मय आपत्ति दाखिल की, जिसमें बैनामा दिनांक 26.12.88 का जिक्र हुआ। जबावदेही से तीन वर्षों के भीतर प्रतिपक्षिनी ने उपरोक्त बैनामा का ज्ञान होने पर जरिये संशोधन मंसूखी बैनामा उपरोक्त ही उपशम हेतु आवेदन कागजात दिनांक 16.02.2024 को दाखिल किया। उपरोक्त संशोधन प्रार्थना-पत्र में बैनामा दिनांकित 26.12.1988 की जगह पर बैनामा दिनांक 26.12.86 सहवन टाइप हो गया था, जिसे संशोधन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया। प्रतिपक्षिनी के संशोधन प्रार्थना-पत्र में संशोधन की दरखास्त हर्जे पर स्वीकार हो गई और मंसूख चाहने वाली दरखास्त दुरूस्त हो गई। पुनः न्यायालय ने संशोधित प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई की और गुणदोष के आधार पर प्रतिपक्षिनी की संशोधन की दरखास्त स्वीकार

हर्जा लगाकर कर दी। प्रतिपक्षिनी ने निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता को हर्जा अभिप्राप्त करवाने हेतु संपर्क किया तो उन्होंने हर्जा लेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। तत्पश्चात् प्रतिपक्षिनी की तरफ से संशोधन प्रार्थना-पत्र पर आरोपित हर्जे को नजारत में जमा कराने की गुजारिश करने वाली दरखास्त दाखिल किये। उपरोक्त दरखास्त जिससे आरोपित हर्जा नजारत में जमा करने हेतु दिया, पर न तो कोई आपत्ति निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता ने दर्ज की। न तो दरखास्त के विरुद्ध कोई उज्रदारी दाखिल की बल्कि उस दरखास्त पर Sem लिखकर निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता ने अपनी दस्तखत कर दी, जो उसके तजबीज है और अभी तक निगरानीकर्तागण के अधिवक्ता के चलते हर्जा न्यायालय के नजारत में जमा नहीं हो सका और न तो वाद पत्र में वांछित संशोधन हो सका। प्रस्तुत निगरानी मामले को विलम्बित करने की बदनियतीवश संस्थित कर दिया है। मुकदमे की बाहुल्यता रोकने के लिये उपरोक्त मूल वाद संख्या 622/22 में जरिये संशोधन बैनामा दिनांकित 26.12.1988 की मंसूखी दाखिल कर कोई गुनाह प्रतिपक्षिनी ने नहीं किया है। प्रार्थना-पत्र संशोधन वाद अथवा कार्यवाही के किसी भी स्तर पर यदि संशोधन प्रार्थना-पत्र आवश्यक न्यायोचित हो तो स्वीकार किया जा सकता है जब तक की मुकदमे का विचारण समाप्त न हुआ हो। उपरोक्त उपबन्ध के अनुसार संशोधन प्रार्थना-पत्र का कोई मियाद अधिनियम में उपबन्धित नहीं है और न तो उपरोक्त संशोधन कालबाधित है। अदालत ने अपने विधि द्वारा निहित अधिकार का दुरूपयोग नहीं किया है बल्कि सदुपयोग कर प्रार्थना-पत्र संशोधन स्वीकार कर, अपने में निहित क्षेत्राधिकार का सही प्रयोग किया है। प्रतिपक्षिनी को निगरानीकर्तागण के बैनामे की इनके द्वारा दाखिल जबावदेही के पूर्व इनके बैनामे के बाबत सम्यक् जानकारी नहीं थी और जानकारी के अभाव में ही संशोधन प्रार्थना-पत्र द्वारा जबावदेही दाखिला के तीन वर्षों के भीतर जरिये संशोधन प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। निगरानीकर्तागण का कोई बैनामा मौके पर क्रियान्वित नहीं हुआ है और न तो विवादित भूमि पर इनका कब्जा दखल ही है। हरगिज आदेश नजाई दिनांकित 18.11.2025 फैटल नहीं है। बैनामा दिनांकित 26.12.88 के निगरानीकर्तागण न तो वास्तविक क्रेता है और न इसका मौके पर कोई स्वत्वाधिकार मिला और न ही विवादित भूमि पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर निगरानीकर्तागण के नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज है। ऐसी स्थिति में निगरानी को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

निगरानीकर्तागण की ओर से फैहरिस्त सूची 6ग के माध्यम से नकल डिक्री फर्मल, नकल आदेश दिनांक 18.11.2025, फोटोकापी प्रार्थना-पत्र 25क2 एवं फोटोकापी आपत्ति ऊपर 25क2 को दाखिल किया गया है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश यह कहते हुए पारित किया गया है कि,"वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र 25 क 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण के जवाबदेही 19 क के अवलोकन से गैर फरीक मुकदमा लखीमचन्द द्वारा बैनामा दिनांक 26.12.1988 का ताकिरा किया। वादिनी द्वारा वाद वर्ष 2022 में दाखिल किया गया एवं प्रतिवादी द्वारा जवाबदेही दिनांक 28.10.2022 को दाखिल किया गया। उक्त जवाबदेही के बाद वादिनी को तथ्य की सम्यक जानकारी हुई। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कर कथन किया गया कि वादिनी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र 10 या प्रस्तुत किया है तथा प्रतिपक्षीगण पंजीकृत बैनामा दिनांक 26.12.1988 के आधार पर काबिज है। ऐसी स्थिति में बैनामा दिनांक 22.10.2009 स्वत्वहीन व्यक्ति द्वारा किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति में किये कथन के आधार पर वादिनी द्वारा संशोधन की याचना की गई है। प्रतिवादीगण का कथन है कि 22.10.2009 का बैनामा स्वत्वहीन है क्योंकि प्रतिवादीगण के पक्ष में पूर्व दिनांक 26.12.1988 का बैनामा है। उक्त कथन पूर्णतया साक्ष्य का विषय है और उक्त का निस्तारण बिना वाद पत्र में संशोधन किये हो पाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्य वादिनी के संज्ञान में वाद दायर करने के बाद आया है जिसके बाबत 25 क 2 प्रस्तुत कर संशोधन की याचना की गई है। उक्त तथ्यों व विश्लेषण के आधार पर वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र वाद के सम्यक् निस्तारण हेतु स्वीकार किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है तथा प्रतिवादीगण को हुए असुविधा की क्षतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र कागज सं० 25 क 2, 50 रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है।" उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत निगरानी संस्थित की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा को बैनामा दिनांक 23.12.1988 की जानकारी, उक्त वाद में प्रतिवादीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा दाखिल आपत्ति में किये गये कथन के आधार पर हुई थी। प्रतिवादीगण/निगरानीकर्तागण का कथन है कि दिनांक 22.10.2009 का बैनामा स्वत्वहीन है, क्योंकि उनके पक्ष में पूर्व दिनांक 26.12.1988 का बैनामा है। यह तथ्य वादिनी के संज्ञान में वाद दायर करने के बाद आया, जिसके बाबत संशोधन प्रार्थना-पत्र 25 क 2 प्रस्तुत कर संशोधन की याचना की गयी, जिसे विद्वान अवर न्यायालय ने अपने प्रश्नगत आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया। वाद की बाहुल्यता को रोकने के लिये उक्त संशोधन आवश्यक है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विस्तृत एवं सुस्पष्ट है, उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत

नहीं होती है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा प्रश्नगत आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत सिविल निगरानी निरस्त की जाती है। प्रश्नगत आदेश दिनांकित 18.11.2025 पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली अविलम्ब विद्वान अवर न्यायालय को प्रेषित हो।

(धनेन्द्र प्रताप सिंह)
दिनांक-19.08.2026 **जनपद न्यायाधीश,**
देवरिया।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित करके उद्घोषित किया गया।

(धनेन्द्र प्रताप सिंह)
दिनांक-19.08.2026 **जनपद न्यायाधीश,**
देवरिया।